| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/36/2002/बून्दी<br>भवर कंवर बनाम भोपाल सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री पूर्णाशंकर दशोरा व श्री वीरेन्द्रसिंह राठौड,
अधिवक्तागण, प्रार्थी
श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1
शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

**निर्णय**

**दिनांक 30.10.2018**

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने सहायक कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में विवादित आराजी बाबत् अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मूल वाद के साथ सम्पूर्ण विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30–12–2000 से विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण कब्जा रखना चाहे तो वह 1000/–रूपया प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से अमानत राशि सम्बन्धित तहसील में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कर दे तो वह कब्जा रख सकते है

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/36/2002/बून्दी<br>भवर कंवर बनाम भोपाल सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अन्यथा ग्राम बोरदाकाछियान स्थित आराजी पर तहसीलदार के0पाटन एवं ग्राम मालिकपुर स्थित आराजी पर तहसीलदार इन्द्रगढ को रिसीवर नियुक्त कर कब्जा बहक रिसीवर प्राप्त करें। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी अप्रार्थीगण संख्या-1 से 3 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-12-2001 से आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रत्यर्थी संख्या-1 के हिस्से में आने वाली 13बीघा भूमि पर ताफैसला मूल वाद काबिज रहना चाहे तो अपीलार्थी को उक्त 13बीघा आराजी के पेटे केशसिक्यूरिटी की राशि रूपये 500/-प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से अन्दर एक माह सम्बन्धित तहसील में जमा करानी होगी। निर्धारित समयावधि में वांछित राशि जमा कराने पर असफल रहने पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के हिस्से में आने वाली 13बीघा भूमि पर सम्बन्धित तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादी प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।<br><br>उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।<br><br>योग्य अधिवक्तागण प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का मूल खातेदार राधोसिंह पुत्र संग्रामसिंह था, जिसकी मृत्यु वर्ष 1975 में हो गयी तथा उसके पुत्र रघुराजसिंह था, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/36/2002/बून्दी<br>भवर कंवर बनाम भोपाल सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | स्थिति में विवादित आराजी उसकी पत्नी अनोप कंवर व पुत्री भवर कंवर का 1/2 – 1/2 हिस्सा बनता है। विवादित आराजी का भोपालसिंह खुर्दबुर्द करने पर आमाद है इसलिए विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विवादित आराजी पर नकद प्रतिभूति का आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी को विवादित आराजी का सहखातेदार होना मानते हुए हिस्से का निर्धारण ही कर दिया, जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं बंटवारे का वाद विचाराधीन है। उनका कथन है कि विवादित सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी भोपालसिंह का कब्जा है, जिसे सम्पूर्ण भूमि बाबत् कोई हक व अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि प्रतिवादी अपने आप को रघुराजसिंह का गोदपुत्र कह कर आया है, रघुराजसिंह की मृत्यु वर्ष 1945 में हो गयी थी जबकि भोपालसिंह गोद का तथ्य वर्ष 1956 का कथन कह कर आया है। इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका कथन है कि भोपालसिंह अमोलसिंह का पुत्र है, जो राधोसिंह का भाई है। इसलिए भोपालसिंह को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि गोद बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से विवादित आराजी का नामान्तरकरण भोपालसिंह के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/36/2002/बून्दी<br>भवर कंवर बनाम भोपाल सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जावे।<br><br>इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, ना ही क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि है। उनका कथन है कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में उनके पक्षकार के नाम सहखातेदारी में दर्ज होने से विवादित सम्पूर्ण भूमि को नकद प्रतिभूति अथवा रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि विवादित आराजी में वादी प्रार्थी के हिस्से में 12बीघा 18बिस्वा भूमि आती है, उसी भूमि की सुरक्षा हेतु रिसीवर अथवा नकद प्रतिभूति का आदेश पारित किया जा सकता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विवादित आराजी बाबत् नकद प्रतिभूति अथवा रिसीवरी का आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।<br><br>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/36/2002/बून्दी<br>भवर कंवर बनाम भोपाल सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 183 एवं 53 के अन्तगत मूल वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ वादी प्रार्थी की ओर से विवादित सम्पूर्ण भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी का मूल खातेदार राधोसिंह पुत्र संग्रामसिंह था। राधोसिंह की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर उनके पुत्र रघुराजसिंह का हक व अधिकार था, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा उसके एक पुत्री भवर कंवर वादी प्रार्थी एवं पत्नी अनोपबाई उर्फ अनोप कंवर है। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी भवरकंवर का हक व अधिकार निहित है तथा विवादित सम्पूर्ण आराजी पर भोपालसिंह काबिज काश्त है तथा स्वयं को रघुराजसिंह का गोद पुत्र होना कथन करता है। उक्त से प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रमाणित होता है। विवादित सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादी भोपालसिंह के काबिज काश्त होने से तथा विवादित आराजी का खुर्दबुर्द करने का प्रयास करना अंकित करने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी वादी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में उभयपक्षों की साक्ष्य उपरान्त इस बिन्दू का निर्धारण किया जावेगा कि वादी प्रार्थी का विवादित आराजी में कितना हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी भोपलासिंह रघुराजसिंह का गोद पुत्र है अथवा नहीं। वादी प्रार्थी गोद पुत्र के कथन से इन्कार करती है तथा गोद बाबत् | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/36/2002/बून्दी<br>भवर कंवर बनाम भोपाल सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पत्रावली में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारे के वाद के विचाराधीन रहते अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी प्रार्थी के हिस्से का निर्धारण कर हिस्से की सीमा तक नकद प्रतिभूति अथवा रिसीवरी का आदेश पारित करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय के समक्ष अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारे तथा बेदखली के वाद के विचाराधीन रहते विवादित सम्पूर्ण आराजी को सुरक्षित रखे जाने के उद्धेश्य से विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विवादित आराजी बाबत् नकद प्रतिभूति का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। जहां तक विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी भोपालसिंह के सहखातेदार के रूप में दर्ज होने से सम्पूर्ण विवादित आराजी पर नकद प्रतिभूति अथवा रिसीवरी का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत् नही होने का प्रश्न है? प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रार्थी ने मूल वाद एवं प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी भोपालसिंह के गोद पुत्र होने से इन्कार कर अमोलसिंह का पुत्र होना कथन किया है तथा स्वयं को रघुराजसिंह की पुत्री होना कथन करते हुए विवादित आरजाी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी अनोप कंवर बेवा रघुराजसिंह का हक व अधिकार तथा विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं की घोषणा एवं बेदखली तथा बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में विवादित सम्पूर्ण आराजी बाबत् नकद प्रतिभूति अथवा रिसीवरी का आदेश पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए सकारण सम्पूर्ण विवादित आराजी बाबत् नकद प्रतिभूति अथवा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/36/2002/बून्दी<br>भवर कंवर बनाम भोपाल सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | रिसीवरी का विधिसम्मत् विस्तृत निर्णय पारित किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–12–2001 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, के0पाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2000 की पुष्टि की जाती है।<br>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली नियमानुसार भिजवाई जावे।<br>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**( मोहन लाल नेहरा )**<br>**सदस्य** | |